Email: cswriavikanagar@yahoo.com
दूरभाष : 01437-220177 फैक्स नं. 91-01437-220163

# भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) — 304501

# ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

क्रमांक: 6(407)एसपी/2019/2049 दिनांक: 31.10.2019

M/s Royal Desert Camp and Safari
Beniyo Ka Bas, Hingonia, Teh- Kishangarh
Renwal, Jaipur, Rajasthan 303328

विषय : संस्थान में दिनांक 14 से 18 नवम्बर, 2019 के मध्य आयोजित होने वाली पश्चिम क्षेत्रीय खेल-कूद प्रतियोगिता 2019 में भाग लेने वाले प्रतिभागियों हेतु आवास सुविधा जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर उपलब्ध करवाने हेतु कार्य आदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा क्रमांक 1792693 दिनांक 30.10.2019 के तहत दी गई निम्नलिखित दरें सभी करों एवं खर्चो सहित निदेशक महोदय ने स्वीकार कर ली है। अतः निम्नलिखित शर्तो पर अनुबन्ध आदेश जारी किया जाता है-

| Sr.No. | Purpose | Quantity | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवास सुविधा (स्विस टेण्ट size 14x28 feet) (बेड, बिस्तर, रजाई/कम्बल, तकिया, बेडसीट, आराम दायक कुर्सीयाँ, टेबल, मेटिंग/फ्लोरिंग, लाईट, पंखा, एवं बाथरूम सुविधा मय वेस्टर्न टॉयलेट एवं वासबेसिन मय फिटिंग, बेड टी मय बिस्किट एवं पेयजल हेतु पानी केम्पर इत्यादि) | 320 Bed | Rs. 3060/- Per Bed | Rs. 9,79,200/- |
| | रूपये | अक्षरे नौ लाख उणीयासी हजार दो सौ | | |

नियम व शर्ते :-

1. उक्त आवास सुविधा का सम्पूर्ण कार्य दिनांक 12 नवम्बर, 2019 तक पूर्ण हो जाना चाहिए।
2. उक्त सामानों को लाने व ले जाने, लाईट व नल फिटिंग, बाथरूम फिटिंग व इससे सम्बन्धित अन्य कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी तथा इसमें प्रयुक्त लेबर की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
3. एक टेण्ट में बेड की अधिकतम संख्या 4 होगी/हो सकती है। टेण्ट में कमरे का आकार 14x14 feet inside to inside होगा।
4. आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जगह संस्थान द्वारा समतल करा कर एक वाटर कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जावेगा तथा टंकियों की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
5. आवास सुविधा (टेण्ट) के अन्दर लाईट की व्यवस्था मय सामान अनुबन्धकर्ता को करनी होगी तथा संस्थान द्वारा केवल एक सिंगल पॉईंट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
6. विद्युत खर्च एवं नहाने एवं बाथरूम का पानी संस्थान द्वारा फ्री ऑफ कोस्ट उपलब्ध कराया जावेगा।
7. वेस्टर्न टॉयलेट हेतु सोकपीट बनाने के लिए जे0सी0बी0 संस्थान द्वारा उपलब्ध करा दी जावेगी।
8. अनुबन्धकर्ता को बाथरूम में बाल्टी, बाथ स्टूल एवं दर्पण की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।
9. खिलाड़ियों हेतु गर्म पानी की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी होगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ जलाऊ लकड़ी संस्थान द्वारा उपलब्ध करा दी जावेगी।
10. उक्त सामान की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। अगर कोई सामान चोरी अथवा डेमेज होता है तो इसके लिये संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ ही किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
11. संस्थान में लगाया जाने वाला स्वीस टेण्ट व रजाई/कम्बल, गिददे, बेडसीट, तकिया इत्यादि साफ-सुथरे होने चाहिए तथा टेण्ट कटा-फटा नहीं होना चाहिए। साथ ही टूर्नामेण्ट अवधि में बीच में एक बार बेडसीट बदलनी होगी।
12. कुर्सीया व टेबले साफ सुथरी एवं ठीक होनी चाहिए। टूटी एवं हिलने वाली कुर्सी एवं टेबल स्वीकार नहीं की जावेगी।
13. टेण्ट की सम्पूर्ण व्यवस्था सक्षम अधिकारी महोदय अथवा उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करनी होगी।

31/10/19

14. भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर एक माह के भीतर ई--पेमेन्ट के माध्यम से किया जावेगा। साथ ही आपके बिल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोई टेक्स यदि देय होता है तो काटा जावेगा।

15. टेण्ट की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी होने पर सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित राशि अनुबन्धकर्ता के बिल से काट ली जावेगी।

16. टेण्ट लगाने एवं हटाने तथा पानी गर्म करने, बेड टी एवं पेयजल केम्पर पहुंचाने के लिये मजदूर अनुबन्धकर्ता के ही होंगें तथा संस्थान द्वारा इसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

17. अनुबन्धकारी किसी भी प्रकार का मतभेद (Dispute) होने पर सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

18. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे अनुबन्धकर्ता द्वारा मान्य होगा।

19. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय

(संजय शर्मा) 3/10/19
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (क्रय)

प्रतिलिपि :--

1. अध्यक्ष टेण्ट पांडाल समिति
2. प्रभारी, भण्डार अनुभाग,
3. प्रशासन द्वितीय अनुभाग,
4. वित्त एवं लेखा अधिकारी,
5. प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
6. सर्तकता अधिकारी
7. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय ने उक्त कार्य अनुबन्ध कार्य पर होने वाले कुल खर्च रूपये 9,79,200/-- ( अक्षरे नौ लाख उणीयासी हजार दो सौ ) पत्रावली क्रमांक 6(407)एसपी/2019 के नोटसीट पेज नं. 03 पर वित्त वर्ष 2019-20 में प्रतिभागियों द्वारा रूकने के लिए जमा धन राशि से वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

3/10/19
सहायक प्रशासनिक अधिकारी